उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 अंक 1 1-15 जनवरी 2025 ₹ 20/-

भारत और अफगानिस्तान के बीच नए संबंधों की शुरुआत

- वक्फ संपत्ति के नाम पर राजनीति तेज
- बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान का नामोनिशान मिटाने का अभियान
- ग्रेटर इजरायल के मानचित्र से मचा बवाल
- यमन में एक भारतीय नर्स को मौत की सजा

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

भारत और अफगानिस्तान के बीच नए संबंधों की शुरुआत 04
संघ प्रमुख के बयान पर विवाद 06
वक्फ संपत्ति के नाम पर राजनीति तेज 09
भाजपा शासित राज्य सरकारों के खिलाफ अभियान 13
हज के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता 15

विश्व

बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान का नामोनिशान मिटाने का अभियान 16
भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव 17
पाकिस्तान में बलूचों के खिलाफ अभियान 19
श्रीलंका में इस्लाम की तौहीन के आरोपी बौद्ध भिक्षु को सजा 21
स्विट्जरलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध 21

पश्चिम एशिया

ग्रेटर इजरायल के मानचित्र से मचा बवाल 23
लेबनान में नई सरकार का गठन 24
ईरान में पिछले साल 901 लोगों को फांसी 28
यमन में एक भारतीय नर्स को मौत की सजा 29
चाड के राष्ट्रपति भवन पर हमला 31

सारांश

भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत होने की संभावना है। पाकिस्तान के साथ कटुतापूर्ण संबंधों के कारण अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत के साथ संबंध बढ़ाने में रुचि ले रही है। हाल ही में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी के साथ दुबई में एक महत्त्वपूर्ण बैठक की है। अफगान सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक सहयोगी है, इसलिए हम उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत और मैत्रीपूर्ण बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत के घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान के नवनिर्माण के लिए अरबों डॉलर की लागत से कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। 2021 में अशरफ गनी सरकार के अपदस्थ होने के बाद दोनों देशों के बीच कुछ गतिरोध पैदा हो गया था, जो अब दूर हो गया है।

हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ लगने वाली अपनी सीमा को बंद कर दिया है। इससे दोनों देशों के व्यापार को भारी धक्का लगा है। अब भारत ने अफगानिस्तान को चाबहार बंदरगाह के जरिए आयात और निर्यात करने की पेशकश की है। भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए संबंध पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान को यह आशा थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्तारूढ़ होने से इस क्षेत्र में उसका वर्चस्व बढ़ जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा।

बांग्लादेश और भारत के संबंध दिन-प्रतिदिन तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। भारत सरकार ने अवैध घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का जो काम शुरू किया था उसका बांग्लादेश सरकार ने विरोध किया है। भारत का कहना है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों का भरपूर लाभ उठा रहा है। हाल ही में बांग्लादेश के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल एसएम कमरुल हसन ने पाकिस्तान का दौरा किया है। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। बताया जाता है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा को लेकर एक समझौता भी हुआ है।

हाल ही में इजरायल ने ग्रेटर इजरायल का एक मानचित्र जारी किया है। इस मानचित्र में जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, मिस्र, इराक, फिलिस्तीन और सऊदी अरब के इलाकों को इजरायल का हिस्सा बताया गया है। अरब देशों ने इजरायल के इस कदम की निंदा की है। उन्होंने इसे इजरायल की विस्तारवादी नीति बताया है। इन देशों ने भय व्यक्त किया है कि इजरायल अरब देशों के इलाकों को हड़पना चाहता है, इसलिए संयुक्त रूप से इसका विरोध किया जाना चाहिए।

दो साल के गतिरोध के बाद आखिरकार लेबनान के सेना प्रमुख जनरल जोसेफ औन देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बताया जाता है कि हिजबुल्लाह के साथ हुए समझौते के कारण वे राष्ट्रपति बनने में सफल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। इससे पहले देश में एक दर्जन बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को दो तिहाई बहुमत नहीं मिला था। लेबनान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोसेफ औन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाफ सलाम को देश का प्रधानमंत्री मनोनीत किया है। लेबनानी संसद के 128 सदस्यों में से 84 ने नवाफ का समर्थन किया है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच नए संबंधों की शुरुआत

रोजनामा सहारा (10 जनवरी) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और भारत सरकार के बीच दुबई में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई है। यह बैठक भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी के बीच हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर भी चर्चा की गई। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि भारत सरकार अफगानिस्तान को खाद्य संकट से उबारने और उसके नवनिर्माण में महत्त्वपूर्ण सहयोग दे रही है। दोनों देशों के बीच इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी वायुसेना के हमले की निंदा की थी। इस हमले में लगभग 50 लोग मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा था कि अपनी आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए पड़ोसी देशों पर आरोप लगाने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है। दुबई की बातचीत के बाद यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि भारत अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे सकता है। हालांकि, अभी दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं। गौरतलब है कि प्रारंभ से ही भारत और अफगानिस्तान के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। भारत ने हर नाजुक घड़ी में अफगानिस्तान की सहायता की है।

सियासत (10 जनवरी) के अनुसार अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह भारत को एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक सहयोगी के रूप में देखता है। भारत ने अफगानिस्तान को चाबहार बंदरगाह के जरिए आयात और निर्यात करने की पेशकश की है। वहीं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को लगभग ठप कर रखा है। उल्लेखनीय है कि भारत का एक दूतावास अब भी काबुल में मौजूद है।

सियासत (10 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध प्रारंभ से ही मैत्रीपूर्ण रहे

हैं। अफगानिस्तान के नवनिर्माण में भारत ने हमेशा रुचि ली है और उसे हर संभव सहायता उपलब्ध कराई है। भारत सरकार अफगानिस्तान को वर्तमान आर्थिक संकट से उबारने हेतु भरपूर प्रयास कर रही है। भारत ने अफगानिस्तान को यह आश्वासन दिया है कि वह युद्ध से तबाह हुए अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में जो विकास परियोजनाएं रूकी हुई हैं उन्हें फिर से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने सिर्फ एक शर्त रखी है कि अफगानिस्तान सरकार भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल न होने दे।

उर्दू टाइम्स (10 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत ने अफगानिस्तान के विकास परियोजनाओं में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत ने 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के पहले कार्यकाल के खात्मे के बाद कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की थी। भारत ने अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर पूंजी निवेश किया था। इनमें अफगानिस्तान के शहर हेरात में बनाया गया एक डैम भी शामिल है। भारत ने न केवल अफगान छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की शुरुआत की, बल्कि वहां पर कई शिक्षण संस्थान भी स्थापित किए। यहां तक कि अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण भी भारत ने ही किया है।

समाचारपत्र का कहना है कि तालिबान ने अगस्त 2021 में दूसरी बार अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था, लेकिन उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी तक मान्यता नहीं मिली है। हालांकि, तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में गृहयुद्ध में कमी आई है। तालिबान सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। हाल ही में विदेशी सहयोग से अफगानिस्तान में कई खनन परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक व व्यापारिक संबंधों में जो गतिरोध उत्पन्न हुआ था वह अब दूर हो रहा है। आशा है कि भविष्य में भारत और अफगानिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी।

मुंसिफ (11 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि तालिबान सरकार की भारत के साथ मित्रता दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। 2021 में अशरफ गनी सरकार के अपदस्थ होने के बाद तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आए थे। विशेषज्ञों का अनुमान था कि तालिबान के सत्तारूढ़ होने से अफगानिस्तान में पाकिस्तान की पकड़ मजबूत होगी। तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान का स्वागत करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान की जनता ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। इमरान खान ने अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए आईएसआई के तत्कालीन प्रमुख जनरल फैज हमीद को अफगानिस्तान भेजा था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच के संबंध बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। पाकिस्तान का यह आरोप है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी)

पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों के लिए अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान की वायु सीमा का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तान के अनेक क्षेत्रों में बमबारी की थी। इसके जवाब में अफगान और पाकिस्तानी सेना के बीच जोरदार खूनी झड़पें हुई थीं।

अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार के अपदस्थ होने के बाद यह महसूस किया गया था कि यह भारत के लिए एक जबर्दस्त झटका है। तब यह संदेह प्रकट किया गया था कि भारत ने गनी के शासनकाल में अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का जो पूंजी निवेश किया था वह मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। दुबई में हुई मुलाकात में दोनों देशों ने आपसी सहयोग और व्यापार को बढ़ाने की इच्छा प्रकट की है। भारत और तालिबान के बीच बढ़ते हुए संबंधों से सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को रही है। पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक हुसैन हक्कानी ने कहा है कि दुबई में अफगानिस्तान और भारत के बीच हुई वार्ता पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। इससे पाकिस्तान के सभी मंसूबे मिट्टी में मिल गए हैं। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का कहना है कि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की नीति बुरी तरह से विफल रही है। हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान में बमबारी करके दोनों देशों के बीच के मैत्रीपूर्ण संबंधों को तबाह कर दिया है। हालांकि, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान में टीटीपी की बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों के कारण वह विवश है।

कौमी तंजीम (4 जनवरी) के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने संपादकीय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने कहा है कि अब पाकिस्तान को यह अहसास हो रहा है कि उसने शुरुआत में तालिबान का समर्थन करके एक बड़ी गलती की थी। समाचारपत्र ने कहा है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी गतिविधियों का संचालन अफगानिस्तान से हो रहा है और अफगानिस्तान सरकार इन गतिविधियों को रोकने में विफल रही है। इसके कारण दोनों देशों के बीच अविश्वास और वैमनस्य की भावना बढ़ रही है।

संघ प्रमुख के बयान पर विवाद

इंकलाब (15 जनवरी) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को वास्तविक स्वतंत्रता पिछले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के दिन मिली। उन्होंने कहा कि इस दिन को 'प्रतिष्ठा द्वादशी' के रूप में मनाया जाना चाहिए। भागवत ने कहा कि राम मंदिर के पुनर्निर्माण का आंदोलन किसी के विरोध में नहीं

था, बल्कि इसका लक्ष्य भारत को जागृत करना और देश को इस योग्य बनाना था कि वह स्वतंत्र रूप से खड़ा होकर विश्व का मार्गदर्शन कर सके। इस अवसर पर उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय को 'देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार' प्रदान किया। चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन को देश के गौरव का प्रतीक बताया।

दूसरी ओर, विपक्ष ने मोहन भागवत के इस बयान को महात्मा गांधी सहित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि पहले भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी यह बयान दिया था कि देश को आजादी 2014 में मिली। तब उनके बयान को मजाक बताकर टाल दिया गया था। अब आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ही देश को वास्तविक स्वतंत्रता मिली है। अल्वी ने सवाल किया कि अगर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ होता तो क्या भाजपा राम मंदिर का निर्माण करवा पाती? शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत ने कहा कि संघ प्रमुख एक सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन वे देश के संविधान निर्माता नहीं हैं। रामलला का सम्मान देश के लिए गौरव की बात है और राम मंदिर के निर्माण में सभी लोगों ने योगदान दिया है। राउत ने कहा कि यह कहना गलत है कि राम मंदिर निर्माण से पहले यह देश आजाद नहीं था। उन्हें रामलला के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

अखबार-ए-मशरिक (16 जनवरी) के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मोहन भागवत का यह बयान देश से गद्दारी है। उन्होंने कहा कि अगर मोहन भागवत दूसरे देश में होते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता।

अखबार-ए-मशरिक (16 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था तो चारों तरफ राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया था, लेकिन नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज के बजाय भगवा ध्वज ही लहराता रहा। आरएसएस ने पहली बार 2002 में अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया। समाचारपत्र ने कहा है कि देश को आजादी दिलवाने में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं रही है। हालांकि, आरएसएस ने राम मंदिर आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उसके लोग राम मंदिर के निर्माण को हिंदुत्व की बहुत बड़ी कामयाबी बताते हैं।

अखबार-ए-मशरिक (17 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कुछ लोग देश के इतिहास को खत्म करने पर तुले हुए हैं। देश में हर मस्जिद के अंदर मंदिर की खोज करने का सिलसिला जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के इतिहास को मनमाना मोड़ देने का प्रयास किया है। उनका दावा है कि देश को वास्तविक आजादी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दिन मिली। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक रूप से आजाद हुआ था और 1950 में

देश का संविधान भी लागू किया गया था, लेकिन इसे सही रूप में अभी तक लागू नहीं किया गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि उस समय भी हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक संगठनों ने यह आरोप लगाया था कि यह आजादी झूठी है। उनका यह दावा था कि देश को वास्तविक आजादी तब मिलेगी जब भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मोहन भागवत और हिंदू सांप्रदायिक तत्वों का यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इस देश के समझदार और सेक्युलर लोग उनके झांसे में कभी नहीं आएंगे। यह एक सेक्युलर और लोकतांत्रिक देश है।

उल्लेखनीय है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह दावा किया था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के दिन ही देश को वास्तविक आजादी मिली है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण की तिथि को 'प्रतिष्ठा द्वादशी' के रूप में मनाया जाना चाहिए। हालांकि, ऐतिहासिक तथ्य यह है कि भारत को 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के अहिंसक आंदोलन के कारण आजादी मिली थी, लेकिन आरएसएस की नजर में इसका कोई महत्व नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। तेजस्वी यादव ने मोहन भागवत से पूछा है कि देश के दलितों और पिछड़ों को वास्तविक आजादी कब मिलेगी? उन्होंने कहा कि 100 साल पुराने संगठन आरएसएस के नेता को यह बताना चाहिए कि दलित और पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति आज तक आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बन सका?

समाचारपत्र ने कहा है कि राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का रूख काफी आक्रामक है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी ने यह मान लिया है कि वे भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके नक्सलियों और 'डीप स्टेट' के साथ नजदीकी संबंध हैं, जो देश की एकता को खंडित करने की साजिश कर रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (16 जनवरी) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सभा को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी वास्तविक आजादी नहीं थी, बल्कि वास्तविक आजादी अयोध्या में राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के दिन मिली है। उनका यह बयान उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, जिन्होंने 150 सालों तक अंग्रेजों से संघर्ष किया और फांसी के फंदे को भी चूम लिया। राहुल गांधी का यह कहना सही है कि अगर मोहन भागवत इस तरह का बयान किसी अन्य देश में देते तो उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता। समाचारपत्र ने कहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत कुछ समय से अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। वे कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ। देश में 'ड्रामा क्वीन' के नाम से मशहूर कंगना रनौत ने भी देशवासियों को यही पाठ पढ़ाया था, जिसे अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने याद कर लिया है। उन्हें इस पाठ को याद करने में दो साल लग गए।

तब कंगना रनौत के इस बयान का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया गया था और उन्हें मानसिक रूप से बीमार तक घोषित किया गया था। अब समझ में आ रहा है कि देश में हिंदुत्व के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख की भी सोचने-समझने की क्षमता कंगना रनौत जैसी ही है। ऐसा लगता है कि मोहन भागवत मानसिक रूप से इतने उलझे हुए हैं कि वे यह फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं।

रोजनामा सहारा (16 जनवरी) ने अपने संपादकीय में मोहन भागवत के बयान को संविधान विरोधी करार दिया है। संपादकीय में कहा गया है कि राहुल गांधी के बयान से एक नई चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। इन दोनों संगठनों ने देश के सभी संस्थानों को अपने कब्जे में ले लिया है। देश की जांच एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के इस बयान को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक बताया है। हालांकि, राहुल गांधी ने जो भाषा इस्तेमाल की है उसे कुछ लोग आक्रामक कह सकते हैं, लेकिन यह आज की राजनीतिक भाषा का एक सामान्य हिस्सा है।

अखबार-ए-मशरिक (17 जनवरी) के अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी पहले ही राज्य के हिंदुओं को एकता और संगठित होने का संदेश दे चुके हैं। अब आरएसएस भी हिंदुओं को एकजुट करने के अभियान में जुट गया है। सात फरवरी को संघ प्रमुख मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के 10 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे बर्दवान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा को सफल बनाने के लिए पूरा संघ परिवार जुट गया है। इस जनसभा में कम-से-कम दो लाख लोगों को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। बताया जाता है कि मोहन भागवत सात फरवरी को कोलकाता आएंगे और वे 12 फरवरी तक वहीं रहेंगे। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

वक्फ संपत्ति के नाम पर राजनीति तेज

अवधनामा (6 जनवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ बोर्ड की भूमि पर हो रहा है, लेकिन हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमान बड़ा दिल दिखा रहे हैं। दूसरी ओर, अखाड़ा परिषद और अन्य साधु-संत इस क्षेत्र में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। उन्हें भी छोटा दिल छोड़कर मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाना चाहिए। रजवी ने बरेली में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रयागराज के रहने वाले सरताज नामक मुस्लिम व्यक्ति ने यह दावा किया है कि जिस भूमि पर

महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वह वक्फ संपत्ति है। यह भूमि लगभग 54 बीघा है, लेकिन किसी भी मुसलमान ने इस पर आपत्ति नहीं जताई है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (11 जनवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हजारों सालों से प्रयागराज की इस भूमि पर कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर कोई यह कहता है कि यह भूमि वक्फ बोर्ड की है तो मुझे सिर्फ यह कहना है कि यह वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड? उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना जरूरी है और हम इस पर जरूर रोक लगाएंगे। एक टेलीविजन कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने यह तय किया है कि जिस भी भूमि पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है या उस पर दावा किया है उसकी पुरानी रिकॉर्ड को जांचा जाए ताकि यह पता लग सके कि यह भूमि किसके नाम से थी। हम उस भूमि को संबंधित व्यक्ति को वापस दिलाने का प्रयास करेंगे। सार्वजनिक उपयोग की कोई भी भूमि चाहे वह हिंदू आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की भूमि हो या फिर सरकार की, हम उस पर किसी भी भूमाफिया बोर्ड को कब्जा करने नहीं देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज के इस महाकुंभ में दुनियाभर से श्रद्धालु आ रहे हैं। अगर कोई यह कहकर उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है कि यह भूमि वक्फ की है तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी ने कहा कि किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद नहीं कहा जाना चाहिए। जिस दिन हम उसे मस्जिद कहना बंद कर देंगे, लोग भी वहां जाना छोड़ देंगे। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाकर मस्जिद जैसा ढांचा बनाया जाता है तो यह इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसे स्थलों पर की जाने वाली इबादत खुदा को भी स्वीकार्य नहीं है। इस्लाम में इबादत के लिए ढांचा का होना जरूरी नहीं है। जबकि सनातन धर्म में ऐसे ढांचे का होना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह नए भारत के बारे में सोचने का समय है, जो अपनी विरासत पर गौरव महसूस कर सके। महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान और हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा की भावना रखते हैं उन्हें यहां पर आना चाहिए। हम अपने गोत्र को भारत के ऋषियों के नाम से जोड़कर देखते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनके पूर्वजों ने किसी दबाव के कारण इस्लाम अपना लिया था, लेकिन वे अब भी भारतीय परंपराओं पर गौरव महसूस करते हैं तो उन्हें इस महाकुंभ में आना चाहिए। अगर वे लोग परंपरागत तरीके से संगम में स्नान करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।

योगी ने संभल की जामा मस्जिद का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे पुराणों में पांच हजार साल पहले का उल्लेख है। इनमें कहा गया है कि श्रीहरि विष्णु का दसवां अवतार भगवान कल्कि के रूप में संभल में होगा। संभल में आज जो कुछ नजर आ रहा है वह सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। पांच हजार साल पहले धरती पर इस्लाम का वजूद ही नहीं था। उस समय सिर्फ सनातन धर्म था। ऐसे में जामा मस्जिद का उल्लेख कैसे हो सकता था? मुख्यमंत्री ने कहा कि

आइन-ए-अकबरी में यह कहा गया है कि यह ढांचा 1526 में प्राचीन हरिहर मंदिर को गिराकर बनाया गया था। मुसलमानों को इस गलती को स्वीकार कर लेनी चाहिए और उन्हें इसे हिंदुओं को वापस कर देना चाहिए। यह देश मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं चलेगा। यह देश भारत की आस्था से चलेगा। अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की चर्चा करते हुए कहा कि अदालत इस पर विचार कर रही है। हिंदू आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत एक आस्थावान देश है। महाकुंभ इसी आस्था का परिचायक है। यहां पर दुनिया और देश का हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के आएगा।

अवधनामा (10 जनवरी) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भ्रामक है और इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मदनी ने कहा कि वक्फ संपत्ति का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान से यह साफ होता है कि यह किसी दुश्मन की संपत्ति है। योगी ने यह बयान देकर अपने संवैधानिक पद की गरिमा को धूमिल किया है। मौलाना मदनी ने कहा कि वक्फ संपत्ति का लक्ष्य हमेशा सामाजिक कल्याण रहा है और इसका इस्तेमाल मस्जिदों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और अनाथालयों के निर्माण और उनके संचालन के लिए किया जाता है। वक्फ बोर्ड की स्थापना 1954 के वक्फ कानून के तहत हुई थी। इसके आधार पर देश के सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड स्थापित किए गए हैं। योगी सरकार के संरक्षण में उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड भी काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त एक केंद्रीय वक्फ काउंसिल भी है, जो भारत सरकार की निगरानी में चलती है। मौलाना मदनी ने कहा कि वक्फ बोर्ड को भूमाफिया कहना देश के कानून और संविधान के खिलाफ है। देश में वक्फ भूमि पर सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों ने जबरन कब्जा कर रखा है। इसकी पुष्टि संसद में भी की गई है कि 58 हजार से अधिक वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण के शिकार हैं।

सियासत (6 जनवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपील की है कि मुसलमान महाकुंभ में न जाएं। उन्होंने कहा है कि अखाड़ा परिषद और नागा साधुओं ने महाकुंभ में मुसलमानों के दुकान लगाने का विरोध किया है, इसलिए मुसलमान महाकुंभ में न जाएं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद, उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा है कि महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की जो मांग की जा रही है वह भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि अगर कोई मुसलमान अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए महाकुंभ में जाता है तो इसमें क्या बुराई है? इस्लाम इतना कमजोर और हल्का नहीं

है कि मेले में जाने से किसी का ईमान खतरे में पड़ जाए।

एतेमाद (10 जनवरी) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में मंदिर-मस्जिद विवाद को फिर से हवा दी जा रही है। राज्यभर के मुस्लिम क्षेत्रों में हिंदू मंदिरों की खोज का अभियान चलाया जा रहा है। क्या यह तीसरी बार सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद उत्तर प्रदेश में हर दिन किसी न किसी मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। एक ओर, कुंभ मेले पर अरबों रुपये फूंके जा रहे हैं। दूसरी ओर, मुसलमानों को मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। वक्फ संपत्ति पर पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं। असल बात यह है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी। राज्य में पूंजी निवेश का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन कोई भी कंपनी राज्य में पूंजी निवेश के लिए तैयार नहीं है। भाजपा में गुटबाजी जोरों पर है और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी पर जबर्दस्त दबाव है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री बहुसंख्यकों के वोट बटोरने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अभियान चला रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (11 जनवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 100 वक्फ संपत्तियों की जांच होने जा रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 जनवरी को कहा था कि वक्फ के नाम पर जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एक-एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद इन वक्फ संपत्तियों पर काबिज लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बरेली जिले में वक्फ की लगभग 3171 संपत्तियां हैं। इनमें से अधिकांश विवादों के घेरे में हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि वक्फ के नाम पर काफी अवैध कब्जे हुए हैं। इसके अतिरिक्त वक्फ संपत्तियों पर माफिया गिरोह ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से सहमत हूं कि बिना वक्फ बोर्ड के मिलीभगत के वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे नहीं हो सकते। सरकार इस संदर्भ में जब भी छान-बीन करे तो इस पहलू को भी नजर में रखे। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. नफीस खान ने भी मुख्यमंत्री योगी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त करवाना जरूरी है ताकि उनसे होने वाली आय का इस्तेमाल मुसलमानों के कल्याण के लिए किया जा सके।

इंकलाब (15 जनवरी) के अनुसार प्रशासन ने बिजनौर जिले में वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। बिजनौर जिले में चार हजार से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से बिजनौर तहसील में 626, धामपुर में 1206, चांदपुर में 730, नजीबाबाद में 929 और नगीना में 517 वक्फ संपत्तियां हैं। मुस्लिम नेता खुर्शीद मोहसिन जैदी ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इससे वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जों से मुक्त होंगी। बिजनौर के एडीएम अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि जिला प्रशासन सरकार के निर्देश पर वक्फ संपत्तियों की जांच कर रहा है ताकि राज्य सरकार को इन संपत्तियों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

भाजपा शासित राज्य सरकारों के खिलाफ अभियान

उर्दू मीडिया ने एक बार फिर से मंदिर-मस्जिद विवाद और मुसलमानों की पहचान मिटाने के आरोप में भाजपा शासित राज्य सरकारों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।

इंकलाब (14 जनवरी) ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों के खान-पान और उनकी पहचान के खिलाफ जबर्दस्त अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी इस दौड़ में कूद पड़ी है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के नाम पर मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। मस्जिदों को तबाह किया जा रहा है और सर्वोच्च न्यायालय के सख्त निर्देश के बावजूद बुलडोजर का इस्तेमाल करके मुसलमानों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा की जा रही है। दूसरी ओर, मुस्लिम पहचान वाले गांवों के नाम बदले जा रहे हैं। पिछले सप्ताह उज्जैन जिले के मौलाना गांव का नाम विक्रम नगर, जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर और गजनीखेड़ी का नाम चामुंडा माता नगर रखा गया है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 11 अन्य गांवों के नाम बदलने का आदेश जारी किया है। यह अभियान काफी समय से चल रहा है। इससे पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति और होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जा चुका है।

समाचारपत्र का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इन मुस्लिम नामों को बदलने के लिए अजीब तर्क दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि जब मोहम्मदपुर में कोई मुसलमान नहीं रहता है तो इसका नाम मोहम्मदपुर क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा कि वे ऐसा करके कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हाल ही में एक गांव निपानिया हिसामुद्दीन का नया नाम निपानिया देव किया गया है। जबकि ढाबला हुसैनपुर का नाम बदलकर ढाबला राम कर दिया गया है। मोहम्मदपुर पवाड़िया का नया नाम रामपुर पवाड़िया रखा गया है। इसके अतिरिक्त खजूरी अलाहदाद का नाम बदलकर खजूरी राम रखा गया है। इसी तरह से हाजीपुर का नाम हीरापुर, मोहम्मदपुर मछनाई का मोहनपुर, रिछरी मुरादाबाद का रिछरी, खलीलपुर का रामपुर, घट्टी मुख्तियारपुर का घट्टी, शेखपुर बोंगी का अवधपुरी और उंचोद का नाम उंचावद रखा गया है। हालांकि, जिन गांवों के नाम बदले गए हैं उनमें मुसलमान भी रहते हैं। इसके बावजूद सरकार मुसलमानों की पहचान को खत्म करने पर तुली हुई है।

सियासत (8 जनवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित ऊपरकोट जामा मस्जिद के शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। इस संबंध में भ्रष्टाचार विरोधी सेना के अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम ने अदालत में एक याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया है कि ऊपरकोट में हिंदू राजाओं का एक किला हुआ करता था। बाद में इसमें स्थित शिव मंदिर को जामा मस्जिद में बदल दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि अदालत ने इस

मुकदमे की सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि भी निर्धारित कर दी है।

हिंदुस्तान (8 जनवरी) के अनुसार अलीगढ़ की जामा मस्जिद का निर्माण 1724 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में अलीगढ़ के गवर्नर साबित खान ने करवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार इस मस्जिद की गुंबदों पर सात क्विंटल सोना लगा हुआ है। इतना सोना एशिया की किसी दूसरी मस्जिद में नहीं लगा है। इस मस्जिद में 17 गुंबद हैं। बता दें कि ऊपरकोट मुस्लिम बहुल इलाका है।

हिंदुस्तान (11 जनवरी) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने संभल की शाही जामा मस्जिद के प्रवेश द्वारा पर स्थित एक कुएं की पूजा पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि एएसआई की इस मस्जिद से संबंधित रिपोर्ट को अदालत में पेश न किया जाए। इसी समाचारपत्र ने 10 जनवरी के अंक में कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल की जामा मस्जिद विवाद पर जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की अगली सुनवाई पर रोक लगा दी है।

हिंदुस्तान (29 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मध्य प्रदेश में मंदिर हटाने पर एक नया विवाद शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के सरकारी आवास के पास स्थित मंदिर को हटाने पर आपत्ति जताई गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि मुख्य न्यायाधीश ने हनुमान मंदिर को अपने सरकारी आवास से हटाकर सनातन धर्म का अपमान किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश ने यह कदम इसलिए उठाया है, क्योंकि वे बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। एसोसिएशन ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि जिस मकान में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह रहे हैं वह सरकारी आवास है, इसलिए इस मंदिर को हटाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

अखबार-ए-मशरिक (10 जनवरी) ने अपने संपादकीय में चिंता प्रकट की है कि देशभर की मस्जिदें सांप्रदायिक तत्वों के निशाने पर हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, संभल की शाही जामा मस्जिद और अजमेर स्थित ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि इन सभी धार्मिक स्थलों का निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मंदिरों की खोज का अभियान बड़ी तेजी से चल रहा है।

उर्दू टाइम्स (5 जनवरी) के अनुसार देशभर में मस्जिदों पर दुश्मनों के कब्जे का अभियान जारी है। हैरानी की बात है कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और देश की विभिन्न मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। अदलातें भी सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक तत्वों की याचिकाएं स्वीकार कर रही हैं। इससे साफ है कि संघ परिवार ने देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने का जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसे प्राप्त करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है और इसमें देश की न्यायपालिका भी परोक्ष रूप से सहयोग दे रही है।

हज के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता

इंकलाब (14 जनवरी) के अनुसार 2025 के हज के लिए भारत और सऊदी अरब ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार इस वर्ष भारत से हज के लिए 1,75,025 लोग सऊदी अरब जाएंगे। इसकी घोषणा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब के हज मामलों के मंत्री तौफीक बिन फौजान अल-राबिया के साथ हुए एक समझौते के बाद की है। किरेन रिजिजू इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि हम हज यात्रियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दृढ़संकल्प हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह भारत के हज यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। हमारी सरकार यह प्रयास करेगी कि हज पर जाने वाले लोगों को हर तरह की सुविधा प्राप्त हो।

किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने इस साल के हज यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इसमें हमें सऊदी सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जेद्दा और मदीना हवाई अड्डों के हज टर्मिनलों का भी दौरा किया। उन्होंने हज यात्रियों की सुविधा के लिए सऊदी सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों पर प्रसन्नता व्यक्त की। रिजिजू ने इस अवसर पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल-इस्सा से भी मुलाकात की।

रोजनामा सहारा (12 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब के अपने पांच दिवसीय दौरे के दौरान किरेन रिजिजू ने कहा कि उनके इस दौरे से सऊदी अरब और भारत के रिश्तों में और भी मजबूती आई है। उन्होंने सऊदी अरब के परिवहन मंत्री सालेह बिन नासिर अल-जस्सर से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच हाजियों के लिए वायुयान सेवा, बस सेवा और ट्रेन सेवा के संबंध में विस्तृत रूप से बातचीत की गई। भारत सरकार ने सऊदी अरब में एक विशेष कार्यालय स्थापित करने का फैसला किया है। यह कार्यालय हाजियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। रिजिजू ने कहा कि हम सऊदी सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि भारत के हज कोटे में वृद्धि की जाए। रिजिजू ने मदीना का भी दौरा किया। उन्होंने सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के सलाहकार सऊद बिन खालिद अल-फैसल और मदीना के गवर्नर सलमान बिन सुल्तान से भी मुलाकात की। भारत सरकार इस बार हज यात्रियों को मक्का में विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयत्नशील है।

बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान का नामोनिशान मिटाने का अभियान

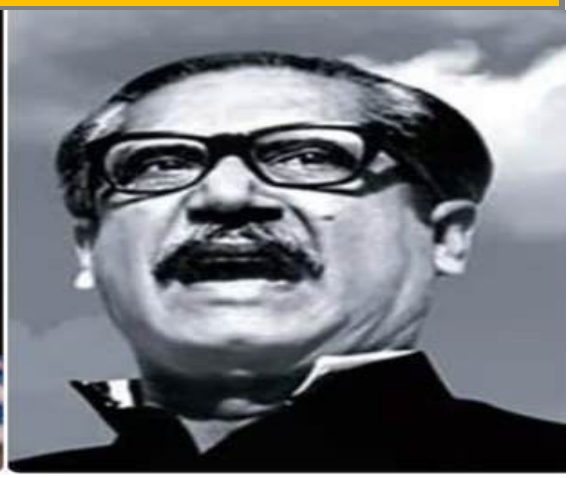

अवधनामा (1 जनवरी) के अनुसार बांग्लादेश में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का नामोनिशान मिटाने का अभियान बड़ी तेजी से चल रहा है। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने अपने करेंसी नोटों से शेख मुजीब की तस्वीर को हटाने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश के विभिन्न स्थानों पर लगी मुजीब की प्रतिमाओं को भी हटाने का फैसला किया गया है। इस संदर्भ में सरकार ने विभिन्न नगरपालिकाओं को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। हाल ही में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद युनूस ने देश के पाठ्यपुस्तकों में भी संशोधन करने की घोषणा की है। अब नए पाठ्यक्रम में मुजीबुर रहमान के बजाय जनरल जियाउर रहमान को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जा रहा है। गौरतलब है कि जनरल जियाउर रहमान की अगुवाई में पाकिस्तान समर्थक सैनिकों ने मुजीब सहित उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। इसमें शेख मुजीब की सिर्फ दो पुत्रियां शेख हसीना और शेख रेहाना ही जीवित बची थीं, क्योंकि उस समय वे विदेश में थीं।

सियासत (4 जनवरी) के अनुसार बांग्लादेश राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक बोर्ड के अध्यक्ष ने दावा किया है कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी की घोषणा जनरल जियाउर रहमान ने बांग्लादेश रेडियो से की थी। इसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि शेख मुजीबुर रहमान के बजाय जनरल जियाउर रहमान को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाए। नई पाठ्यपुस्तकें इस वर्ष से स्कूलों में सप्लाई की जाएंगी ताकि बांग्लादेश के विद्यार्थी देश के इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ और समझ सकें। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता का दर्जा शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। पाठ्यपुस्तकों में संशोधन हेतु गठित बोर्ड के अध्यक्ष राखल राहा ने संवाददाताओं को बताया कि शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार ने देश के इतिहास को भ्रामक मोड़ देकर बांग्लादेश की आजादी का पूरा श्रेय स्वयं ले लिया था, इसलिए यह जरूरी है कि नई पीढ़ी को देश के सही इतिहास के बारे में जानकारी दी जाए।

गौरतलब है कि शेख हसीना के शासनकाल में पहली से दसवीं कक्षा के पाठ्यपुस्तकों में यह उल्लेख किया गया था कि शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले बांग्लादेश की आजादी की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि "आज

बांग्लादेश की आजादी का दिन है। आप जो भी हैं, जहां भी हैं अपनी आजादी के लिए लड़ें।" उन्होंने अपने भाषण के अंत में 'जय बांग्ला, जय स्वतंत्र बांग्लादेश' का नारा लगाया था। राखल राहा ने यह भी घोषणा की कि पांचवीं से दसवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में कई अन्य संशोधन भी किए गए हैं। सभी पुस्तकों से शेख मुजीबुर रहमान से संबंधित सभी अंशों को हटा दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान की पत्नी फजीलतुन्नेस मुजीब की तस्वीरों और उनसे संबंधित संदर्भों को भी पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त मौलाना अब्दुल हामिद खान भशानी से संबंधित अध्यायों को भी हटा दिया गया है। इसके स्थान पर शेर-ए-बांग्ला के नाम से मशहूर ए.के. फजलुल हक को खास महत्व दिया जा रहा है। मौलाना भशानी के नेतृत्व में बांग्ला भाषा को देश की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने का जो अभियान चलाया गया था उसे नई पाठ्यपुस्तकों में विशेष महत्व दिया गया है।

भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव

रोजनामा सहारा (10 जनवरी) के अनुसार ढाका की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पासपोर्ट को रद्द करते हुए उनके खिलाफ फिर से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से यह मांग की है कि शेख हसीना को बांग्लादेश सरकार के हवाले किया जाए ताकि उनके खिलाफ नरसंहार और भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा चलाया जा सके।

इंकलाब (12 जनवरी) के अनुसार भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के वीजा की अवधि को बढ़ा दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने पिछले एक सप्ताह में छह हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाया। 8 जनवरी को चटगांव के हाटहजारी में चार मंदिरों पर हमले किए गए और उनमें स्थित मूर्तियों को तोड़ने के बाद उनमें आग लगा दी गई। 9 जनवरी को कॉक्स बाजार में एक मंदिर और 10 जनवरी को लालमोनिरहाट स्थित एक मंदिर में लूटपाट की गई। चटगांव के हाटहजारी इलाके में मां विश्वेश्वरी काली मंदिर से सोने के गहने और दानपेटी लूट ली गई। वहीं, सत्यनारायण सेवा आश्रम, मां मागधेश्वरी मंदिर और जगतबंधु आश्रम पर भी हमले किए गए। इसके अतिरिक्त कट्टरपंथियों ने एक कॉलेज के पूर्व अध्यापक 70 वर्षीय दिलीप कुमार रॉय की हत्या कर दी। एक

अन्य व्यापारी 28 वर्षीय सुदेब हलदर की भी गला काटकर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश सरकार ने अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई एकता परिषद की ओर से जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पिछले छह महीने में अल्पसंख्यकों पर 1769 हमले किए गए और उनकी संपत्ति को लूटने की दो हजार से अधिक घटनाएं हुई हैं।

एतेमाद (13 जनवरी) के अनुसार बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए ढाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त प्रणय कुमार वर्मा को तलब किया। बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि भारत द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए भारत-बांग्लादेश सीमा पर पांच स्थानों पर बाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय उच्चायुक्त ने इस मुलाकात की पुष्टि की है और कहा है कि सीमा पर तस्करी और अवैध घुसपैठ को रोकने हेतु दोनों देशों की सहमति से यह बाड़ लगाई गई है। इससे पहले बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध किया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि पुरानी सरकार के शासनकाल में दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे समझौते हुए थे, जो बांग्लादेश के हित में नहीं थे। इसकी वजह से भारत-बांग्लादेश सीमा पर कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। हमारे सीमा सुरक्षाकर्मी के विरोध के कारण भारत ने फिलहाल बाड़ लगाने का काम रोक दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने बांग्लादेश सीमा पर 3271 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाई है। जबकि 1975 में दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ था उसके तहत सीमा पर जीरो लाइन के 150 गज के अंदर किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता और न ही बाड़ लगाई जा सकती है। जहांगीर चौधरी ने कहा कि बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी नागरिक की हत्या कर दी है। इस संदर्भ में भारत सरकार से विरोध प्रकट किया गया है और उसे चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोका जाए।

रोजनामा सहारा (14 जनवरी) के अनुसार भारत ने बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त नुरुल इस्लाम को भारतीय विदेश मंत्रालय में तलब किया। भारत सरकार ने बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त को बताया कि दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत ही सीमा पर बाड़ लगाई गई है। भारत ने आशा व्यक्त की है कि बांग्लादेश पहले की तरह ही दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का सम्मान करेगा और सीमा पर अवैध घुसपैठ व अपराधी तत्वों की रोकथाम के लिए भारत को पूरा सहयोग देगा। भारत के विदेश सचिव ने संवाददाताओं को बताया कि भारत सरकार भविष्य में इस संबंध में बांग्लादेश की निर्वाचित सरकार से ही बातचीत करेगी।

पाकिस्तान में बलूचों के खिलाफ अभियान

पाकिस्तान में विद्रोहियों की गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पाकिस्तान सरकार ने इन विद्रोहियों को कुचलने के लिए सेना को विशेष अभियान छेड़ने का निर्देश दिया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को सेना के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संवाददाताओं को बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ यह अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता।

पाकिस्तानी अखबार **जंग** (12 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के कच्छी जिले में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान में 27 बलूच विद्रोही मारे गए हैं। जबकि 10 पाकिस्तानी सैनिकों के भी मारे जाने की पुष्टि की गई है।

कौमी तंजीम (11 जनवरी) के अनुसार बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने एक सरकारी कार्यालय पर हमला किया। इसके अतिरिक्त एक बैंक को लूटा और एक पुलिस थाने से हथियार लूटने के बाद उसमें आग लगा दी। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है।

चट्टान (13 जनवरी) के अनुसार प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लकी मरवत जिले में पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग (पीएईसी) के 17 कर्मचारियों का अपहरण कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इन कर्मचारियों के अपहरण से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को जबर्दस्त झटका लगने की संभावना है। बाद में पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के अड्डे पर हमला किया और उनके कब्जे से आठ कर्मचारियों को छुड़ा लिया। इस मुठभेड़ में 20 आतंकवादी और 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना के लोक संपर्क विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बाकी कर्मचारियों को मुक्त करवाने हेतु व्यापक अभियान शुरू किया गया है।

चट्टान (8 जनवरी) के अनुसार बलूचिस्तान के तुरबत इलाके में एक यात्री बस में हुए धमाके में कम-से-कम छह यात्री मारे गए और 36 घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेवारी बीएलए ने ली है। तुरबत के एक स्थानीय पुलिस अधिकारी राशिद उर रहमान ने पत्रकारों को बताया कि आतंकवादियों ने यह धमाका रिमोर्ट कंट्रोल से किया है और इस धमाके से अनेक वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद वहां पर आग फैल गई। बहुत मुश्किल से इस आग पर काबू पाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोहैब मोहसिन का वाहन भी इस धमाके की चपेट में आ गया, जिसमें वे और उनके ड्राइवर घायल हो गए। बीएलए द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस धमाके को उसके मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया है। बीएलए ने दावा किया कि इस धमाके में कम-से-कम एक दर्जन पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना निर्दोष बलूचों की हत्याएं कर

रही है। उसी के जवाब में यह हमला किया गया है। इस तरह के हमले भविष्य में भी जारी रहेंगे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (11 जनवरी) के अनुसार बलूचिस्तान में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर हमला किया। इस हमले में एक वाहन तबाह हो गया। पाकिस्तान सरकार ने इस धमाके में पांच सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। जबकि बीएलए के प्रवक्ता जीयंद बलोच ने कहा है कि इस हमले में कम-से-कम एक दर्जन पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उसके मजीद ब्रिगेड के लड़ाकों ने एक दिन पहले पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला करके 47 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी थी, जिनमें तीन उच्चाधिकारी भी शामिल थे।

चट्टान (1 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि साल 2024 में पाकिस्तान के दो प्रांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा आतंकवादियों के हमले से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। पाकिस्तान में 2023 की तुलना में 2024 में हुई आतंकवादी घटनाओं में 119 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले साल पाकिस्तान में 444 आतंकवादी हमले हुए थे। इन हमलों में 685 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसके अतिरिक्त आतंकवादियों ने एक हजार पुलिसकर्मियों को भी अपना निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में 934 आतंकवादियों को मार गिराया। 2023 की तुलना में पिछले साल सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों की हत्याओं में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह संख्या पिछले एक दशक में सबसे अधिक बताई जाती है।

आतंकवादियों ने 2024 में हर दिन औसतन सात पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या की। सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में लगभग दो हजार लोग मारे गए। जबकि बलूचिस्तान में एक हजार से अधिक लोग मारे गए। इन हमलों में चार हजार से अधिक सैनिक और नागरिक घायल हुए। जबकि 2023 में घायल होने वालों की संख्या 1462 थी। इससे पहले 2016 में 2432 लोग मारे गए थे। जबकि 2015 में मारे जाने वालों की संख्या 4,366 थी।

रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक आतंकवादियों की गतिविधियों में कमी आई थी, लेकिन 2021 के बाद इनमें फिर से तेजी आई और इन हमलों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। 2021 में आतंकवादियों के हमलों में 38 प्रतिशत, 2022 में 15 प्रतिशत, 2023 में 56 प्रतिशत और 2024 में 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खैबर पख्तूनख्वा के जिन जिलों में सबसे ज्यादा आतंकवादी सक्रिय हैं उनमें कुर्रम, उत्तरी वजीरिस्तान, खैबर, डेरा इस्माइल खान, बन्नू और लकी मरवत शामिल हैं। जबकि बलूचिस्तान के जो क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों के शिकार बने उनमें क्वेटा, कच्छी, कलात और मुसाखेल आदि शामिल हैं।

श्रीलंका में इस्लाम की तौहीन के आरोपी बौद्ध भिक्षु को सजा

इंकलाब (10 जनवरी) के अनुसार कोलंबो की एक अदालत ने श्रीलंका के एक कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षु गालागोडाटे ज्ञानसारा को इस्लाम की तौहीन करने और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में नौ महीने की सजा सुनाई है। 2016 में ज्ञानसारा ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान इस्लाम और श्रीलंका में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। उनके इसी बयान के आधार पर उन्हें सजा सुनाई गई है। श्रीलंका में आम तौर पर बौद्ध भिक्षुओं को सजा देने की प्रथा नहीं है, लेकिन यह दूसरी बार है जब ज्ञानसारा को जेल की सजा सुनाई गई है। उल्लेखनीय है कि 2019 में उन्हें एक अदालत ने छह साल की सजा सुनाई थी। बाद में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने उन्हें क्षमादान दे दिया था और वे जेल से रिहा हो गए थे।

अदालत ने कहा है कि श्रीलंका के संविधान में सभी देशवासियों को बिना धार्मिक भेदभाव के जीवन व्यतीत करने की अनुमति है। ज्ञानसारा पर डेढ़ हजार श्रीलंकाई रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसका भुगतान न करने पर उन्हें एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। ज्ञानसारा के वकील ने अदालत से अनुरोध किया था कि जब तक उच्च न्यायालय उनकी अपील पर फैसला नहीं दे देती तब तक उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, लेकिन अदालत ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया और ज्ञानसारा को जेल भेज दिया।

बता दें कि ज्ञानसारा श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के नजदीकी सहयोगी माने जाते हैं। राजपक्षे को श्रीलंका में उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण त्यागपत्र देकर विदेश भागना पड़ा था, क्योंकि उनके खिलाफ देशव्यापी उग्र प्रदर्शन किए जा रहे थे। राजपक्षे जब श्रीलंका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने देश के कानूनों में संशोधन के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी का प्रमुख ज्ञानसारा को बनाया गया था। राजपक्षे को सत्ता से अपदस्थ किए जाने के बाद अदालत ने एक अन्य मुकदमे में ज्ञानसारा को इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में चार साल की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अभी यह मुकदमा विचाराधीन है।

स्विट्जरलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध

उर्दू टाइम्स (3 जनवरी) के अनुसार स्विट्जरलैंड सरकार ने नए साल से देश में बुर्का पहनने, नकाब पहनने और चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को एक हजार स्विस फ्रैंक का जुर्माना अदा करना होगा। बुर्का आम तौर पर मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, इसलिए इस कानून से सबसे ज्यादा मुसलमान प्रभावित होंगे। हवाई जहाजों और दूतावासों को इस

प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त मस्जिदों में जाने वाली महिलाओं पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मनोरंजन और विज्ञापनों के लिए भी चेहरा ढकने पर पाबंदी नहीं रहेगी। इस कानून में यह भी कहा गया है कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी या किसी सभा के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए चेहरा ढकने की जरूरत हो तो इसकी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले संबंधित अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी।

गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड में काफी समय से बुर्का पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा था। कुछ राजनीतिक दलों का यह मत था कि स्विट्जरलैंड एक सेक्युलर देश है, इसलिए उसे किसी के धार्मिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि अन्य लोगों की मांग थी कि देश में व्यक्तिगत सुरक्षा और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए बुर्का कानून को लागू करना जरूरी है। देश में बुर्का पर प्रतिबंध लगाने का फैसला 2021 के एक जनमत संग्रह के आधार पर किया गया है। इस जनमत संग्रह में बुर्का कानून के पक्ष में 51.2 प्रतिशत और विरोध में 48.8 प्रतिशत वोट पड़े थे। स्विट्जरलैंड में अगर किसी भी कानून को लागू करने पर विवाद पैदा होता है तो इसका निर्णय करने के लिए जनमत संग्रह करवाना अनिवार्य है।

बुर्का पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव स्विट्जरलैंड की दक्षिणपंथी पार्टी स्विस पीपुल्स पार्टी की ओर से पेश किया गया था। इस पार्टी ने यह दलील दी थी कि वह इस कानून का समर्थन देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कर रही है। उसका उद्देश्य किसी भी धर्म के अनुयायियों को निशाना बनाना नहीं है। खास बात यह है कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने भी देश में बुर्का पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया था। उसका कहना था कि राज्य का यह काम नहीं है कि वह लोगों, खासकर महिलाओं को यह निर्देश कि वे क्या पहनेंगी। हालांकि, स्विस पीपुल्स पार्टी के दबाव पर देश में जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें जनता ने बहुमत से बुर्का पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया था।

ग्रेटर इजरायल के मानचित्र से मचा बवाल

एतेमाद (10 जनवरी) के अनुसार इजरायल सरकार ने ग्रेटर इजरायल का मानचित्र जारी किया है। इस मानचित्र में जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, मिस्र, इराक, फिलिस्तीन और सऊदी अरब के इलाकों को इजरायल का हिस्सा बताया गया है। इजरायल सरकार द्वारा प्रकाशित इस मानचित्र की सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और फिलिस्तीन ने निंदा की है। इन देशों ने कहा है कि यह इजरायल की विस्तारवादी नीति का ठोस सबूत है। अरब न्यूज के अनुसार सऊदी अरब ने कहा है कि हम इजरायल के इस हरकत को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। यह इजरायल की विस्तारवादी नीति का ठोस सबूत है, जो अन्य देशों को हड़पना चाहता है। इससे साफ है कि इजरायल को कानून और सिद्धांतों पर अमल करने में कोई रुचि नहीं है। हम उसके इस आक्रामक इरादों का डटकर विरोध करेंगे।

सऊदी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह मौका है कि विश्व के सभी देश एकजुट होकर इजरायल के आक्रामक और विस्तारवादी रवैये का विरोध करें। सऊदी अरब इस क्षेत्र के देशों और जनता के खिलाफ इजरायल की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रवक्ता ने भी इजरायल के इस मानचित्र को नकारते हुए कहा कि इससे यह साफ हो गया है कि इजरायल को अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा पारित प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने में कोई रुचि नहीं है। वह ताकत के बल पर सभी मुस्लिम देशों को हड़पना चाहता है। प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल अरब देशों को हड़पने की नीति पर चल रहा है। इसके लिए वह दुनियाभर के यहूदियों को गैर-कानूनी तरीके से इस क्षेत्र में बसा रहा है। इजरायल मस्जिद अल-अक्सा जैसे पवित्र स्थल को भी हड़पना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र को फिलिस्तीनी जनता को युद्ध और तबाही का निशाना बनने से रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।

जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ग्रेटर इजरायल के मानचित्र का कोई आधार नहीं है। जिन क्षेत्रों पर इजरायल अपना दावा करने की कोशिश कर रहा है उन क्षेत्रों का इजरायल या यहूदियों से कोई संबंध नहीं रहा है। इजरायल को

को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि इजरायल पिछले कई सालों से युद्ध के द्वारा गाजा पट्टी को हड़पने के लिए प्रयत्नशील है। इस मानचित्र से उसके विस्तारवादी और आक्रामक इरादों की पुष्टि होती है।

संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजरायल ने फिलिस्तीनियों के क्षेत्र पर गैर-कानूनी कब्जा कर रखा है और अब वह अरब जगत के अनेक देशों के इलाकों को हड़पना चाहता है। विश्व के सभी देशों को एकजुट होकर इजरायल के आक्रामक इरादों का विरोध करना चाहिए। इस मानचित्र के प्रकाशित होने से यह साफ हो गया है कि इजरायल इस क्षेत्र में युद्ध की ज्वाला भड़काकर शांति और स्थिरता के माहौल को बिगाड़ना चाहता है। गौरतलब है कि मार्च 2023 में भी पेरिस में एक सामरोह में ग्रेटर इजरायल का मानचित्र पेश किया गया था। जब विश्वभर में इजरायल के इस कदम की निंदा की गई तो उसने चुप्पी साध ली थी। ■

जॉर्डन की संप्रभुता की धज्जियां उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। बयान में कहा गया है कि इजरायल सरकार को ऐसे विस्तारवादी प्रयासों से बाज आना चाहिए, क्योंकि इससे क्षेत्र में अशांति, तनाव और अस्थिरता फैलती है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इससे पहले भी इजरायल के वित्त मंत्री वेस्ट बैंक को इजरायल में शामिल करने और गाजा में यहूदियों की गैर-कानूनी बस्तियां बसाने की धमकियां देते रहे हैं। अरब जनता इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस इजरायली मानचित्र

लेबनान में नई सरकार का गठन

रोजनामा सहारा (10 जनवरी) के अनुसार लेबनान के सेना प्रमुख जनरल जोसेफ औन देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। दूसरे दौर के चुनाव में लेबनान की संसद के 128 सदस्यों में से 99 ने जनरल जोसेफ औन के पक्ष में मत दिए हैं। पहले दौर के मदतान में वे दो तिहाई बहुमत प्राप्त करने में विफल रहे थे। उल्लेखनीय है कि निवर्तमान राष्ट्रपति मिशेल औन का कार्यकाल अक्टूबर 2022 में समाप्त हो गया था। इसके बाद 12 बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, लेकिन कोई भी उम्मीदवार दो तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। तब से लेबनान के राष्ट्रपति का पद खाली था। इससे पहले हिजबुल्लाह समर्थक सुलेमान फ्रांगीह ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया था। 60 वर्षीय जनरल जोसेफ औन ने मार्च 2017 में लेबनानी सेना का नेतृत्व संभाला था। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि वे अरब देशों के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण लेबनान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। वे इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे और सीरिया के साथ भी

राजनयिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। औन ने कहा कि लेबनान में लोगों के पास जो हथियार हैं उन्हें वे सरकार के हवाले कर दें। जब तक जनता का पूरी तरह से नि:शस्त्रीकरण नहीं होगा और हथियार सिर्फ सेना व पुलिस के पास नहीं होंगे तब तक लेबनान में शांति व्यवस्था में सुधार होने की आशा नहीं है।

उर्दू टाइम्स (15 जनवरी) के अनुसार लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाफ सलाम को देश का प्रधानमंत्री मनोनीत किया है। लेबनानी संसद के 128 सदस्यों में से 84 ने नवाफ का समर्थन किया है। जबकि नौ सांसदों ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में मतदान किया। 35 सदस्यों ने दोनों उम्मीदवारों में से किसी का भी समर्थन नहीं किया। वर्तमान में नवाफ सलाम हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। वे प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के लिए लेबनान पहुंच रहे हैं। इसके बाद वे सरकार का गठन करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दो साल से लेबनान में नजीब मिकाती के नेतृत्व में कार्यवाहक सरकार सत्ता में थी। राजनीतिक अस्थिरता और इजरायल के हमले के कारण लेबनान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है।

हिंदुस्तान (10 जनवरी) के अनुसार लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा कि लेबनान को बचाने के लिए हमें नई रणनीति बनानी होगी। इसके लिए यह जरूरी है कि लेबनानी जनता का नि:शस्त्रीकरण हो ताकि देश में शांति व्यवस्था बहाल हो सके। जोसेफ औन का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हिजबुल्लाह के लिए एक झटका है। हिजबुल्लाह पिछले दो सालों से उनकी राष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवारी का विरोध कर रहा था। अब हवा के रूख को भांपते हुए हिजबुल्लाह ने उनका विरोध करना बंद कर दिया है और अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान से हटा लिया है।

हिंदुस्तान (15 जनवरी) के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जोसेफ औन की जीत को आशा की नई किरण बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि नई सरकार लेबनानी जनता की सेवा करेगी और देश को शांति व सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ विवाद के कारण लेबनान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। मैक्रों ने कहा कि हम लेबनान के नवनिर्माण में पूरी तरह से सहायता करने के लिए तैयार हैं। लेबनान के संविधान के अनुसार नए प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल गठन के 30 दिनों के अंदर संसद से विश्वास मत प्राप्त करना होगा। संविधान के अनुसार बिना विश्वासमत प्राप्त किए नई सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती।

अवधनामा (11 जनवरी) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने जनरल जोसेफ औन को लेबनान का राष्ट्रपति बनने पर बधाई

संदेश भेजा है। ईरान ने कहा है कि औन का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हिजबुल्लाह के साथ हुए एक समझौते के कारण हुआ है। आशा है कि नई सरकार लेबनान में राजनीतिक स्थिरता व आर्थिक विकास के लिए कदम उठाएगी। ईरान लेबनान की सरकार को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। ईरानी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि इजरायल द्वारा लेबनान को हड़पने की जो साजिश की जा रही थी वह अब विफल होगी।

सियासत (10 जनवरी) के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में पूर्व वित्त मंत्री जिहाद अजौर और लेबनान की जनरल सिक्योरिटी एजेंसी के प्रमुख इलियास बेसारी भी उम्मीदवार थे। हिजबुल्लाह के साथ हुए समझौते के कारण ये दोनों उम्मीदवार चुनावी मैदान से हट गए।

गौरतलब है कि लेबनान को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसकी सीमाएं सीरिया और इजरायल के साथ लगती हैं। यह अरब जगत का ऐसा देश है, जिसमें किसी भी धर्म के अनुयायियों को बहुमत प्राप्त नहीं है। लेबनान में शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, ईसाई और द्रूज समुदाय के लोग रहते हैं। लेबनानी संविधान के अनुसार मुसलमान और ईसाई बारी-बारी से देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते हैं। यदि देश का राष्ट्रपति ईसाई हो तो प्रधानमंत्री का मुसलमान होना अनिवार्य है। जोसेफ औन को अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है। जबकि शिया मुसलमानों के संगठन हिजबुल्लाह के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि लेबनान में पिछले दो सालों में 12 बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को संसद में दो तिहाई बहुमत नहीं मिल सका, इसलिए यह मामला खटाई में पड़ा रहा। ईसाइयों और मुसलमानों में संघर्ष को टालने के लिए अब ईसाइयों ने हिजबुल्लाह के साथ समझौता किया है। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती की सरकार भी संसद का समर्थन प्राप्त करने में

विफल रही है। नजीब मिकाती लेबनान के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वे सितंबर 2021 से देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। वे इससे पहले भी दो बार लेबनान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं।

लेबनान का गठन 1920 में लीग ऑफ नेशंस के आदेश पर किया गया था। इससे पूर्व वह ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। लीग ऑफ नेशंस के निर्देश के बाद फ्रांस ने माउंट लेबनान, उत्तरी लेबनान, दक्षिण लेबनान और बेका प्रांतो को मिलाकर बृहद लेबनान की रचना की थी। 1944 में फ्रांस ने लेबनान सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की। 1958 में देश में गृहयुद्ध शुरू हो गया। 1967 में फिलिस्तीनियों ने लेबनान को केंद्र बनाकर इजरायल पर हमले शुरू किए। 1975 में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच गृहयुद्ध शुरू हो गया और यह 1990 तक चला। 1982 में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने ब्रिटेन में इजरायल के राजदूत श्लोमो अरगोव की हत्या करने का प्रयास किया तो इजरायल ने लेबनान पर हमला कर दिया। इसी साल लेबनान के इजरायल समर्थक राष्ट्रपति बशीर गेमायेल की हत्या कर दी गई। 1983 में बेरूत स्थित अमेरिकी दूतावास पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 63 लोग मारे गए। इसी साल शांति सैनिकों के मुख्यालय पर हुए एक अन्य हमले में 241 अमेरिकी सैनिक सहित 58

फ्रांसीसी सैनिक मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने लेबनान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया।

1991 में लेबनान की राष्ट्रीय असेंबली ने सभी सशस्त्र गिरोहों को यह निर्देश दिया कि वे अपने हथियार सरकार के हवाले कर दें, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे मानने से इंकार कर दिया। 1972 के बाद 1992 में लेबनान में पहला चुनाव हुआ, जिसमें लेबनान के एक अमीर व्यवसायी रफीक हरीरी प्रधानमंत्री बने। 2005 में बेरूत में एक कार बम विस्फोट में रफीक हरीरी की हत्या कर दी गई। 2006 में हिजबुल्लाह ने दो इजरायली सैनिकों का अपहरण कर लिया। इसके बाद इजरायल ने लेबनान पर हमला कर दिया। 34 दिनों तक चले युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों के बीच युद्धविराम करवा दिया। 2011 में सीरिया में गृहयुद्ध शुरू हो गया। इसके बाद लेबनान में भी शियाओं और सुन्नियों के बीच झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। सीरिया में गृहयुद्ध के कारण 10 लाख से अधिक शरणार्थियों ने लेबनान में शरण ली। 2023 में इजरायल पर हमास के हमले के बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह को कुचलने के उद्देश्य से लेबनान पर हमला कर दिया। इसके बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह सहित उसके कई शीर्ष कमांडरों को मार गिराया।

रोजनामा सहारा (8 जनवरी) के अनुसार 26 नवंबर 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लेबनान और इजरायल के बीच युद्धविराम की घोषणा की थी। इसके बावजूद इजरायल द्वारा लेबनान पर हमलों का सिलसिला जारी है।

एक अन्य समाचार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के देशों से अपील की है कि वे लेबनान की बदहाल अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 371 मिलियन डॉलर की सहायता करें ताकि इजरायली बमबारी के कारण लाखों बेघर लेबनानियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर 2024 में भी विश्व के देशों से अपील की थी कि वे लेबनान की सहायता के लिए 426 मिलियन डॉलर की व्यवस्था करें। इजरायल और लेबनान के बीच हुए युद्धविराम समझौते के बावजूद अभी भी दो लाख से अधिक लोग बेघर हैं। संयुक्त राष्ट्र के पुनर्वास विभाग के प्रमुख इमरान रिजा ने कहा है कि इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष में 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि लेबनान के 15 लाख लोग युद्ध के कारण पड़ोसी देशों में चले गए थे। इनमें से आठ लाख लोग वापस लौट आए हैं, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए संयुक्त राष्ट्र के पास पर्याप्त धन नहीं है।

ईरान में पिछले साल 901 लोगों को फांसी

हिंदुस्तान (9 जनवरी) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल चीन के बाद ईरान में सबसे अधिक 901 लोगों को फांसी पर लटकाया गया है। जबकि दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा 40 लोगों को फांसी पर लटकाया गया था। गौरतलब है कि आम तौर पर अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में अपराधियों को मौत की सजा नहीं दी जाती है। जबकि ईरान उन देशों में शामिल है, जिनमें मौत की सजा दिए जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान में बढ़ती हुई फांसी की घटनाओं पर चिंता प्रकट की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व संगठनों के विरोध के बावजूद ईरान में मृत्युदंड पाने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गौरतलब है कि ईरान में हत्या, मादक पदार्थों के तस्करों और बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा चीन में मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन इस संबंध में सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान में महिलाओं को मृत्युदंड देने की घटनाओं में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है।

चट्टान (3 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में छह ईरानी नागरिकों को मौत की सजा दी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये आरोपी विदेशों से गुप्त रूप से ड्रग्स लाने के प्रयास में दम्माम में रंगे हाथों पकड़े गए थे। ईरानी विदेश मंत्रालय ने तेहरान स्थित सऊदी राजदूत को तलब करके इन ईरानियों को मौत की सजा देने पर विरोध प्रकट किया है। उल्लेखनीय है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सऊदी अरब में पिछले साल लगभग 338 लोगों को मृत्युदंड दिया गया था। यह संख्या 2023 की तुलना में दोगुनी है।

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया है कि सऊदी अरब में 2022 में 196 और 1995 में 192 लोगों को मौत की सजा दी गई थी। गौरतलब है कि इससे पहले सऊदी अरब में मृत्युदंड देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन दो साल पहले वहां पर फिर से मृत्युदंड देने का सिलसिला शुरू किया गया है। सऊदी सरकार देश में मादक पदार्थों की बढ़ती हुई तस्करी से काफी परेशान है। खास तौर पर नई पीढ़ी मादक पदार्थों के जाल में फंस रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 2024 में मौत की सजा पाने वाले 338 लोगों में से 129 विदेशी थे। इनमें 25 यमनी, 24 पाकिस्तानी, 17 मिस्री, 16 सीरियाई, 14 नाइजीरियाई, 13 जॉर्डन और 7 इथियोपियाई नागरिक शामिल थे। ■

यमन में एक भारतीय नर्स को मौत की सजा

तासीर (9 जनवरी) के अनुसार केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया 2017 से यमन की जेल में बंद है। उसे हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। यमन के राष्ट्रपति रशद अल-अलीमी ने निमिषा प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी दे दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय निमिषा को फांसी से बचाने का प्रयास कर रहा है। यमनी कानून के अनुसार अगर किसी हत्यारे के परिवारजन 'ब्लड मनी' अदा करते हैं तो इस धनराशि को मृतक के परिवारजनों को सौंप दिया जाता है। ब्लड मनी आम तौर पर हत्या के आरोपी की जान बचाने के लिए दी जाती है। इस नर्स के परिवारजनों को यह आशा है कि जिस तरह से कतर में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा से बचाया गया था उसी तरह से इस नर्स को भी मौत की सजा से बचाया जा सकता है। खास बात यह है कि निमिषा के परिवारजन इस स्थिति में नहीं हैं कि वे उसकी जान बचाने के लिए ब्लड मनी की व्यवस्था कर सकें, इसलिए निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने भारत सरकार से अपनी बेटी की जान बचाने की अपील की है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 37 वर्षीय निमिषा प्रिया 2008 में नौकरी की तलाश में केरल से यमन गई थी। इसके बाद वह यमन की राजधानी साना के एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करने लगी। 2011 में उसने एक भारतीय नागरिक टॉमी थॉमस से शादी कर ली और 2012 में वह एक बेटी की मां भी बनी। 2014 में जब यमन में गृहयुद्ध चल रहा था तो निमिषा का पति अपने नाबालिग बच्चे के साथ भारत लौट गया। जबकि निमिषा ने यमन में ही रहने का फैसला किया। निमिषा ने यमन में एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया। यमनी कानून के अनुसार किसी भी विदेशी को वहां पर कारोबार करने की अनुमति नहीं है, इसलिए उसने अपना क्लिनिक चलाने के लिए एक स्थानीय व्यक्ति तलाल अब्दो महदी के साथ साझेदारी की। निमिषा ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से 50 लाख रुपये इकट्ठा करके एक क्लिनिक खोला, लेकिन महदी ने उसे धोखा दिया। क्लिनिक को हड़पने के लिए उसने निमिषा का पति होने का दावा किया और इसके लिए उसने फर्जी दस्तावेज भी बनाए। इसके बाद उसने इस महिला के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। महदी ने निमिषा का पासपोर्ट छीन लिया ताकि वह यमन से स्वदेश वापस न लौट सके। निमिषा ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने 2016 में महदी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से वह जेल से छूट गया। इसके बाद उसने फिर से निमिषा को परेशान करना शुरू कर दिया।

2017 में महदी से अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार महदी को निर्धारित मात्रा से अधिक दवाई दी गई, इसलिए उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद निमिषा ने अपने एक यमनी सहयोगी हन्नान के साथ

मिलकर महदी के शव के कई टुकड़े कर दिए और उसे पानी की टंकी में फेंक दिया। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो उसने निमिषा और हन्नान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने इन दोनों को हत्यारा करार दे दिया। 2018 में यमन की एक अदालत ने निमिषा को मौत की सजा और हन्नान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तब से निमिषा यमन की जेल में बंद है और उसका परिवार उसकी रिहाई के लिए प्रयास कर रहा है।

निमिषा की मां की ओर से यमन के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने 2023 में इस अपील को खारिज कर दिया। निमिषा की मां अप्रैल 2024 में यमन गई और उसने जेल में बंद अपनी बेटी से मुलाकात भी की। तब से वह अपनी बेटी की रिहाई के लिए प्रयास कर रही है। उसके प्रयास से मृतक के परिवारजन ब्लड मनी लेकर निमिषा को माफ करने के लिए तैयार हो गए। केरल के लोग अब तक तीन करोड़ रुपये जमा कर चुके हैं, लेकिन ब्लड मनी इससे काफी ज्यादा है।

हाल ही में ईरान ने भी ब्लड मनी की शेष धनराशि देने का प्रस्ताव दिया है। ईरान ने 2 जनवरी को यमन के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में कहा गया है कि हम मानवीय आधार पर निमिषा की जान बचाने के लिए अपना सहयोग देना चाहते हैं। इससे पहले 31 दिसंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि हम केरल के इस नर्स के मामले से अवगत हैं और इस मामले का कोई हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

गौरतलब है कि 2008 में पंजाब का एक नागरिक बलविंदर सिंह काम की तलाश में सऊदी अरब गया था। 2013 में एक सऊदी व्यक्ति की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन बलविंदर सिंह के परिवारजनों की मृतक के परिवार को दो करोड़ रुपये की ब्लड मनी देने पर सहमति बनी थी। पंजाब के विभिन्न संगठनों ने चंदा इकट्ठा करके यह रकम जुटाई थी। इसके बाद बलविंदर भारत लौट आया। निमिषा का मामला क्या मोड़ लेता है यह बहुत हद तक भारत सरकार के प्रयासों पर निर्भर करता है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (1 जनवरी) के अनुसार यमन के राष्ट्रपति रशद अल-अलीमी ने कहा है कि यदि एक महीने के अंदर ब्लड मनी की व्यवस्था न की गई तो निमिषा को मौत की सजा दे दी जाएगी।

चाड के राष्ट्रपति भवन पर हमला

औरंगाबाद टाइम्स (10 जनवरी) के अनुसार इस्लामिक आतंकवादी संगठन बोको हराम के आतंकवादियों ने अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति भवन पर हमला किया। सेना की जवाबी कार्रवाई में कम-से-कम 18 आतंकवादी मारे गए और छह को हिरासत में ले लिया गया। जबकि कुछ सरकारी सैनिकों के मारे जाने का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन उनकी संख्या नहीं बताई गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस मुठभेड़ में कम-से-कम 50 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 30 की हालत गंभीर बताई जाती है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हमले के समय चाड के राष्ट्रपति महामत इद्रिस डेबी इत्नो राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। इससे कुछ घंटे पहले उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी।

चाड के विदेश मंत्री अब्देरमान कुलामल्लाह के अनुसार बोको हराम ने यह हमला चीन और चाड की दोस्ती में दरार डालने के लिए किया था। आतंकवादियों की योजना चीन के विदेश मंत्री और चाड के राष्ट्रपति की हत्या करने की थी। सरकारी सैनिकों ने उनकी इस योजना को विफल बना दिया। गौरतलब है कि बोको हराम पिछले एक दशक से चाड और अफ्रीका के कई देशों में सक्रिय है। इस आतंकवादी संगठन का संबंध इस्लामिक आतंकवादी संगठन अलकायदा से बताया जाता है। अब तक बोको हराम चाड, अल्जीरिया, नाइजीरिया और नाइजर में कम-से-कम 20 हजार लोगों की हत्या कर चुका है। ■

RNI No. DELHIN/2017/72722

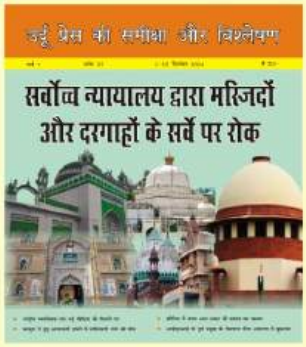

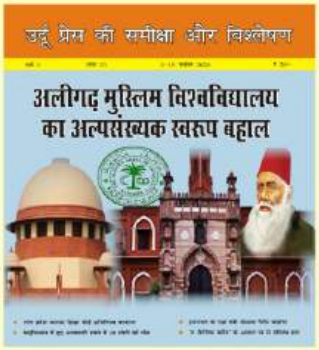

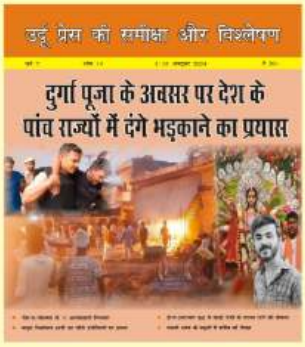

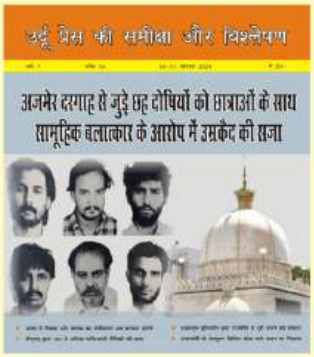

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in